

पत्रा. सं. 42/8/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (जी)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 18 जुलाई, 2013

संकल्प

इस विभाग के दिनांक 24 जून, 2011 के संकल्प सं. 42/50/2010- पी एंड पी डब्ल्यू (जी) द्वारा पहले दो वर्ष की अवधि के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों संबंधी स्थायी समिति (स्कोवा) का गठन किया गया था। स्कोवा की कार्य अवधि समाप्त होने के उपरांत, भारत सरकार ने निम्नलिखित घटकों के साथ स्कोवा के पुनर्गठन का निर्णय लिया है:-

(क) राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) - अध्यक्ष

(ख) गैर-सरकारी सदस्य (15)

(i) स्थायी समूह (5 संघ)

(i)	राष्ट्रीय जेसीएम परिषद (स्टाफ पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली- 110001
(ii)	अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलकर्मी संघ, ब्लॉक 303, रेलवे कॉलोनी हाई स्कूल, चिलकालगुड़ा, सिकंदराबाद- 500025, आंध्र प्रदेश
(iii)	अखिल भारतीय पेंशनभोगी संघ, जी-20, सौन्दर्य, नया नं. 51, पुराना नं. 22, कवराई स्ट्रीट, सईदपेट पश्चिम, चेन्नै- 600015
(iv)	भारत पेंशनभोगी समाज, पो.बा.नं. 3303, जंगपुरा पो.आ., नई दिल्ली- 110014
(v)	वायुसेना संघ, वायुसेना स्टेशन, रेस कोर्स कैम्प, नई दिल्ली-110003

(ii) अस्थायी (चक्रीय) समूह (10 संघ)

(i)	डिसेबल्ड वार वेटेरन्स (इंडिया), बी 6/6, डीएलएफ सिटी, फेस I, गुडगांव, हरियाणा- 122002
(ii)	आईए एंड आईडी के सेवानिवृत्त अधिकारियों का संघ, म.नं. 2154 सेक्टर 38-सी, चंडीगढ़
(iii)	अखिल भारतीय केंद्र सरकार पेंशनभोगी संघ, ईपी-233, नया बाजार, जलंधर सिटी, पंजाब
(iv)	कर्नाटक डाक एवं दूर संचार पेंशनभोगी संघ (पं.), 1397, 23 मेन, बनशंकरी II स्टेज, बंगलूरु
(v)	केंद्र सरकार पेंशनभोगी संघ की समन्वय समिति, 68-बी, के.जी.बोस रोड, मंगला लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
(vi)	अखिल भारतीय केंद्र सरकार पेंशनभोगी संघ, 355, गंगा मंदिर, कटक, उड़ीसा
(vii)	केंद्र सरकार पेंशनभोगी संघ, केरल, "पेंशन केंद्र", द्वितीय तल, कैपिटल टावर्स, पट्टुरैक्कल जं., त्रिस्सूर-680022, केरल
(viii)	केंद्र सरकार पेंशनभोगी कल्याण संघ, जम्मू ओलंपिक संघ भवन, परेड, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)

(ix)	अखिल भारतीय पेंशनभोगी संगठन, कानपुर, 12व/469, लाजपत नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश
(x)	अखिल भारतीय केंद्र सरकार पेंशनभोगी संघ, 1785, सदाशिवपेट, फड़के संकुल, पुणे के निकट, विद्यार्थी गृह, पुणे- 411030 (महाराष्ट्र)

(ग) सरकारी सदस्य:

- (i) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के प्रतिनिधि
- (ii) रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि
- (iii) रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि
- (iv) डाक विभाग के प्रतिनिधि
- (v) दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि
- (vi) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

(घ) सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग – संयोजक एवं सदस्य सचिव

2. स्कोवा का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। स्थायी समूह दो-दो वर्ष के तीन कार्यकाल तक कार्य करेगा। चक्रीय समूह दो वर्ष के एक कार्यकाल के लिए कार्य करेगा तथा एक और कार्यकाल के लिए पुनः चुने जाने के लिए पात्र होगा।
3. स्कोवा यथावश्यक रूप से अपनी बैठकें आयोजित करेगी। तथापि यह एक वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक अवश्य आयोजित करेगी।
4. स्कोवा निम्नलिखित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी:
 - (i) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की नीतियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में फीडबैक देना;
 - (ii) नीतिगत पहलों पर चर्चा करना और उनकी समीक्षात्मक जांच करना; और
 - (iii) सरकारी कार्रवाई के पूरक स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना।
5. स्कोवा की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, एसआर 190 के उपबंधों और उसके तहत समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार देय होंगे।
6. इसके लिए किया जाने वाला व्यय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के स्वीकृत बजट उपदान से किया जाएगा।

सुजाशा चौधरी

(सुजाशा चौधरी)
उपसचिव (पें.)

दूरभाष: 24635979

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाए।

सुजाशा चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)

उपसचिव (पें.)

दूरभाष: 24635979

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

एनआईटी,

फरीदाबाद - 121001

प्रतिलिपि:

1. सभी सदस्य
2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
3. प्रधानमंत्री कार्यालय
4. मंत्रिमंडल सचिवालय
5. संयुक्त सचिव (जेसीए), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
6. संयुक्त सचिव (ई.वी.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
7. भूतपूर्व सैनिक एवं कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय
8. कार्यकारी निदेशक, (स्था.) रेल मंत्रालय
9. डीडीजी (स्था.), डाक विभाग
10. डीडीजी (स्था.), दूरसंचार विभाग
11. रक्षा लेखा महानियंत्रक
12. महालेखानियंत्रक
13. सचिव, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद (कर्मचारी पक्ष)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) के निजी सचिव
2. सचिव (पेंशन, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, तृतीय तल, लोकनायक भवन— इस संकल्प को विभाग की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।